ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चड़तगढ़ में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सतपाल	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री योगेश कपिला	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में) (₹)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	33.23
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.14
3)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.07
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	5.80
5)	8.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	1.30
6)	8.3	खनन सामग्री के ट्रांजिट पास प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना	0.53
7)	8.4	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.23
8)	8.5	निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.07
9)	9	व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	6.19

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
2.	पैरा-4 (क, ख, ग, घ)	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
3.	पैरा-5 (क व ख)	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
4.	पैरा-5 (ग)	निर्णीत।	(कोई कार्यवाही अपेक्षित है)

5.	पैरा-6	निर्णीत		(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
6.	पैरा- 7	निर्णीत		(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
7.	पैरा-8 (i) व (ii)	निर्णीत		(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
8.	पैरा-9	निर्णीत		(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
9.	पैरा-10	निर्णीत		(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
10.	पैरा-11	अनिर्णीत		
11.	पैरा-12	अनिर्णीत		
12.	पैरा-13	निर्णीत		(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
13.	पैरा-14	अनिर्णीत		
14.	पैरा-15	निर्णीत		वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित
15.	पैरा-16	निर्णीत	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
16.	पैरा-17	निर्णीत		(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
17.	पैरा-18	निर्णीत		(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)

अनिर्णीत पैरों का सार	
अनिर्णीत पैरे	17
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	14
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	8
कुल अनिर्णीत पैरे	11

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21.09.2024 से 28.09.2024 तक ग्राम पंचायत चड़तगढ़ के कार्यालय में किया गया | आय व्यय

की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	03/2024	03/2024

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा" ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 809/2024 दिनांक 28/09/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत चड़तगढ़ द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित मैहतपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 949974 दिनांक 30/09/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत चड़तगढ़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 793/2024 दिनांक 23/09/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात्

स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Online, 15वां वित्तायोग Online, स्वच्छ भारत मिशन Offline व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	2389450.79	6513154	8902604.79	5246729.00	3655875.79
2	2023-24	3655875.79	2697875	6353750.79	3031173.07	3322577.72

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चड़तगढ़ के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **शून्य** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा **4(क)** का अंतशेष	3322577.72
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3322070.72**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	507.00
4)	**योग (2+3)**	**3322577.72**
5)	**अन्तर (4-1)**	**0.00**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 793/2024 दिनांक 23/09/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPC/111 दिनांक 28/09/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार

सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹33.23 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 793/2024 दिनांक 23/09/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3322577.72** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 793/2024 दिनांक 23/09/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPC/111 दिनांक 28/09/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 793/2024 दिनांक 23/09/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPC/111 दिनांक 28/09/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.14 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 793/2024 दिनांक 23/09/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPC/111 दिनांक 28/09/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹14090 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	8690	35950	44640	0	44640
2023-24	44640	35950	80590	66500	14090

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 793/2024 दिनांक 23/09/2024 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2024 तक दुकानों के किराये के रूप में **₹0.00** वसूली हेतू शेष थी।

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022-23	00	17640	17640	17640	00
2023-24	00	17640	17640	17640	00

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट घ अनुसार)** वसूली गई राशि **₹6600** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2022-23	3000
2	2023-24	3600
	योग	**6600**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 800/2024 दिनांक 27/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPC/112 दिनांक 28/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट घ में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹1000** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
1	2022-23	600
2	2023-24	400
	योग	**1000**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 801/2024 दिनांक 27/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPC/112 दिनांक 28/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 219669 दिनांक 30.09.2024 द्वारा सम्बन्धित से करके निधि लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसे राजकीय

कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.80 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **सलंग्न परिशिष्ट "ड."** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹579639** की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था | जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 802/2024 दिनांक 27/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPC/112 दिनांक 28/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए । अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 ₹1.30 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 में **₹130390** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे

जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 805/2024 दिनांक 27/09/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPC/112 दिनांक 28/09/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	दिनांक	विवरण	राशि (18% GST सहित) (₹)
1	मनरेगा	58	05.03.22	3000 पेवर / ब्लॉक्स @ 15.34 प्रति पेवर / ब्लॉक्स	46020
2	मनरेगा	59	05.03.22	3000 पेवर / ब्लॉक्स @ 15.34 प्रति पेवर / ब्लॉक्स	46020
3	मनरेगा	60	05.03.22	2500 पेवर / ब्लॉक्स @ 15.34 प्रति पेवर / ब्लॉक्स	38350
				योग	**130390**

8.3 आपूर्तिकर्ता से क्रय की गई खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹0.53 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च

न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं कि जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 व 03/2024 में **निम्न विवरणानुसार ₹53375** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 803/2024 दिनांक 27/09/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPC/112 दिनांक 28/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹53375** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**कार्य का नाम**	**बिल संख्या व दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	मनरेगा	03 05/22	C/O Water tank Kuldip SIngh	17137 18.04.22	M/s Shiv Shakti Stone Crusher	रेत, बजरी	9800
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	83 03/24	C/o Community Centre near Panchayat ghar	3933 26.12.23	Ishwari Enterprises	रेत, बजरी	43575
						योग	**53375**

8.4 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.23 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध में **₹**250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1152782** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹23055.64** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**	**योग (₹)**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)**
1	2022-23	Swastik trading co. Mehatpur	सरिया	527100	527100	10542 (2% x 527100)
2	2023-24	Swastik trading co. Mehatpur	सरिया	625682	625682	12513.64 (2% x 625682)
				योग	**1152782**	**23055.64**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 804/2024 दिनांक 27/09/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPC/112 दिनांक 28/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹23055.64** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.5 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित व्यय माह 05/2022 में स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित शीर्ष) से करवाए गए **निम्नानुसार** निर्माण कार्य के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री (सीमेंट) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री अधिक जारी की गई थी तथा शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न विवरनानुसार** सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹6646.20** का अधिक भुगतान किया गया था |

क) कार्य का नाम :- C/O 1st Floor Hall above Community Centre ward no. 5

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	सीमेंट (बैग)
509 93	CC 1:1.5:3	7.51	60.08
93	BW1:4	17.24	31.37
9	BW 1:4	9.36	17.03
		योग	**108.48**

	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 17 अनुसार जारी / खपत मात्रा	**128.00**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री	19 (बैग)
	क्रय दर	349.80 प्रति बैग
	अधिक भुगतान	**6646.20**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 808/2024 दिनांक 28/09/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPC/112 दिनांक 28/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि **₹6646.20** की वसूली रसीद संख्या 219670 दिनांक 30.09.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है | जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है |

8.6 निर्माण सामग्री से ₹0.02 लाख की रिक्तियों (Voids) की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन (2.1.2.13) के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 03/2024 में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से निर्धारित दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता को **निम्न विवरणानुसार ₹2073.75** का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है | अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 807/2024 दिनांक 28/09/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPC/112 दिनांक 28/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 219671 दिनांक 30.09.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है |

क्रम संख्या	योजना	बिल संख्या व दिनांक	फर्म/ व्यक्ति का नाम	सामग्री	मात्रा (घन मीटर)	दर (प्रति घन मीटर)	राशि (₹)	कटौती दर (%)	कटौती राशि (₹)
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	3933 26.12.23	M/s Shiv Shakti Stone Crusher	Agg. 20MM	14.16	1001.05	14175	5%	708.75
2	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	3933 26.12.23	M/s Shiv Shakti Stone Crusher	Agg. 40MM	14.16	963.98	13650	10%	1365
								योग	**2073.75**

9 ₹6.19 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित व्यय माह 03/2024 में **निम्न विवरणानुसार** कार्य हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹618536** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 806/2024 दिनांक 27/09/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPC/112 दिनांक 28/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है |

परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**कार्य का नाम**	**बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	71 से 77 03/24	C/O Community Centre near Panchayat ghar (VMJS)	110929 dtd. 19.03.24, 287 dtd 24.02.24, 290 dtd 26.02.24, 740 से 743 dtd. 06.03.24	Cement, bricks, Steel	311415
2	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	82 से 89 03/24	C/O Community Centre near Panchayat ghar (VMJS)	292 dtd. 28.02.24, 3933 dtd. 26.12.23, 110805 dtd. 09.02.24, 764 dtd. 18.03.24, 768 से 769 dtd. 20.03.24, 052424 dtd. 29.04.24, 8190 (01.03.24 to 19.03.24)	Bricks, Sand, agg., Steel, Cement, Labour	307121
					योग	**618536**

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 794/2024 दिनांक 23/09/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPC/113 दिनांक 28/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

10 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 793/2024 दिनांक 23/09/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPC/111 दिनांक 28/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत

करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

12 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

O/C

5742-5746 27 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)54/2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।
5 सचिव, ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

27 NOV 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

O/C

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2389450.79	6513154	8902604.79	5246729.00	3655875.79
2	2023-24	3655875.79	2697875	6353750.79	3031173.07	3322577.72

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P.)

-20-

ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	991228.79	2992913	3984141.79	1918240	2065901.79
2	2023-24	2065901.79	865570	2931471.79	2191690	739781.79

स्वच्छ भारत मिशन (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	0	0	0	0
2	2023-24	0	202186	202186	48347	153839

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1398222	1582900	2981122	1391148	1589974
2	2023-24	1589974	838985	2428959	2.07	2428956.93

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1710976	1710976	1710976	0
2	2023-24	0	691134	691134	691134	0

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	226365	226365	226365.00	0
2	2023-24	0	100000	100000	100000	0

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P.)

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	3322577.72
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**3322070.72**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	507.00
4)	**योग (2+3)**	**3322577.72**
5)	**अन्तर (4-1)**	**0.00**

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P)

-23- 22

<u>परिशिष्ट क-1</u> **पैरा संख्या 4 (ख) में संदर्भित**

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	Union Bank Mehatpur (15^{th} fc)	392302010104310	2428956.93
	KCCB Mehatpur (Own & GIA)	20079006853	739274.79
	Punjab & Sind Bank Una (SBM)	10621000004605	153839.00
		योग	**3322070.72**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	507.00
		योग (1+2)	**3322577.72**

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	8690	35950	44640	0	44640
2023-24	44640	35950	80590	66500	14090

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P)

298

परिशिष्ट "ग" पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत चड़तगढ़, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक दुकान किराये की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	00	17640	17640	17640	00
2023-24	00	17640	17640	17640	00

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट "ग"   पेरा संख्या 7.2 में संदर्भित

List of outstanding Shop Rent period 04/2022 to 03/2023 in r/o Gram Panchayat- Chadat Garh, Block Una

Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	1	Suresh Kumar S/o Sh. Mangal Dass	0	4800	4800	4800	0
2	2	Shiv Kumar S/o Sh. Sidhu Ram	0	1200	1200	1200	0
3	3	Dinesh Kumar S/o Sh. Roshan Lal	0	2400	2400	2400	0
4	4	Kuldeep Singh S/o Sh. Shamsher Singh	0	9240	9240	9240	0
		Total		**17640**	**17640**	**17640**	**0**

List of outstanding Shop Rent period 04/2023 to 03/2024 in r/o Gram Panchayat- Chadat Garh, Block Una

Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	1	Suresh Kumar S/o Sh. Mangal Dass	0	4800	4800	4800	0
2	2	Shiv Kumar S/o Sh. Sidhu Ram	0	1200	1200	1200	0
3	3	Dinesh Kumar S/o Sh. Roshan Lal	0	2400	2400	2400	0
4	4	Kuldeep Singh S/o Sh. Shamsher Singh	0	9240	9240	9240	0
		Total		**17640**	**17640**	**17640**	**0**

26

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P)

परिशिष्ट 'ध' पैरा संख्या 7.3 व 7.4 में सम्बन्धित

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEAR 2022-2023

क्र.सं.	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	NAKUL	05.02.2022	05.04.2022	218200	400	200	200
2	VIPUL	24.04.2022	05.05.2022	218848	200	200	0
3	HARSH SHARMA	09.05.2022	23.05.2022	218852	200	200	0
4	VINOD KUMAR MALHI	24.06.2022	25-06-2022	218859	200	200	0
5	RAJAT	06.10.2022	06.10.2022	218887	200	200	0
6	VARINDER	19.10.2022	02.11.2022	NIL	200	0	200
7	RAVINDER KUMAR	04.12.2022	15.12.2022	218898	200	200	0
8	KUSHAL KUMAR	14.12.2022	15.12.2022	218899	200	200	0
9	CHIRAG VASHISHT	07.12.2022	15.12.2022	218900	200	200	0
10	ARVIND KUMAR	08.12.2022	02.01.2023	218902	200	200	0
11	SHEETAL	17.12.2022	02.01.2023	218905	200	200	0
12	RANJEET KUMAR	18.01.2023	01.02.2023	218907	200	200	0
13	MANISH KUMAR	30.01.2023	02.02.2023	218908	200	200	0
14	RAHUL BHARDWAJ	25.01.2023	02.02.2023	NIL	200	0	200
15	SHUBHAM	27.01.2023	02.02.2023	218909	200	200	0
16	NAZAR SINGH	22.01.2023	02.02.2023	218910	200	200	0
17	GURPREET	22.02.2023	14.03.2023	218917	200	200	0
	TOTAL					**3000**	**600**

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P)

27

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEAR 2023-2024

क्र.सं.	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	SAT PAUL	17.04.1998	01.04.2023	218920	400	200	200
2	RAVI KUMAR	26.03.2023	19.04.2023	218923	200	200	0
3	SHUBHAM GILL	26.02.2023	19.04.2023	218924	400	200	200
4	SHUBHAM SHARMA	02.05.2023	06.05.2023	218925	200	200	0
5	RANYODH SINGH	22.04.2023	06.05.2023	218926	200	200	0
6	GAGANDEEP	06.07.2023	03.08.2023	218938	200	200	0
7	PRINCE BHARDWAJ	20.09.2023	29.09.2023	218945	200	200	0
8	PANKAJ KUMAR	20.10.2023	01.11.2023	218950	200	200	0
9	AJAY KUMAR	22.10.2023	01.11.2023	218951	200	200	0
10	PRANJAL BHARDWAJ	09.11.2023	17.11.2023	218952	200	200	0
11	ABHISHEK RAIZADA	09.11.2023	17.11.2023	218953	200	200	0
12	HARDEEP SINGH	08.11.2023	17.11.2023	218955	200	200	0
13	AJAY KUMAR	14.11.2023	01.12.2023	218957	200	200	0
14	AKSHIT SHARMA	27.11.2023	06.12.2023	218958	200	200	0
15	TILAK RAJ	08.12.2023	15.12.2023	218960	200	200	0
16	KEWAL KRISHAN	17.11.2023	15.12.2023	218961	200	200	0
17	RAHUL	20.01.2024	01.02.2024	218969	200	200	0
18	KARAN SHARMA	30.01.2024	16.02.2024	218973	200	200	0
	TOTAL					**3600**	**400**

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P)

28

परिशिष्ट 'ङ'   पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	05/22	1145 to 1149 11.03.22	Swastik trading Co. Mehatpur	Steel	232878
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	05/22	118 06.05.22	Swastik trading Co. Mehatpur	Steel	49991
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	05/22	121 06.05.22	Swastik trading Co. Mehatpur	Steel	24030
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	740 से 743 06.03.24	Swastik trading Co. Mehatpur	Steel	186945
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	764 18.03.24	Swastik trading Co. Mehatpur	Steel	34003
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	768 से 769 20.03.24	Swastik trading Co. Mehatpur	Steel	51792
					योग	**579639**

Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P.)

~~30~~ 29

परिशिष्ट 'च'   पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2022 -23 में Swastik Trading Co. Mehatpur को किये गये भुगतान का विवरण					
क्र.सं.	मद	वाउचर सं.	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST छोड़कर)
1.	RGSA	01	14	04-04-22	19249
2.	RGSA	02	13	04-04-22	24611
3.	RGSA	13	118	06-05-22	42483
4.	SBM	14	121	06-05-22	20453
5.	SBM	21	120	06-05-22	20453
6.	SDP	22	209	01-06-22	24023
7.	SDP	23	210	01-06-22	22929
8.	SDP	32	299	23-06-22	29058
9.	SDP	33	300	23-06-22	17835
10.	PS-13th FC	113	813	18-01-23	30235
11.	15th FC	07	1077	26-02-22	36225
12.	15th FC	08	1101	03-03-22	36064
13.	MGNREGA	80	560	10-10-22	5565
14.	MGNREGA	127	1145	11-03-22	41936
15.	MGNREGA	128	1146	11-03-22	41852
16.	MGNREGA	129	1147	11-03-22	41852
17.	MGNREGA	130	1148	11-03-22	30171
18.	MGNREGA	131	1149	11-03-22	42106
TOTAL					527100

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में Swastik Trading Co. Mehatpur को किये गये भुगतान का विवरण					
क्र.सं.	मद	वाउचर सं.	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST छोड़कर)
1.	VMJS	31	409	29-08-23	39679
2.	VMJS	32	410	29-08-23	40075
3.	VMJS	33	411	29-08-23	38902
4.	VMJS	34	412	29-08-23	39518
5.	VMJS	35	413	29-08-23	19743
6.	VMJS	36	427	02-09-23	41165
7.	VMJS	54	626	26-12-23	28756
8.	VMJS	55	627	26-12-23	24440
9.	VMJS	58	648	10-01-24	39813
10.	VMJS	59	647	10-01-24	36567
11.	VMJS	67	713	19-02-24	26790
12.	VMJS	68	714	19-02-24	19100
13.	VMJS	74	740	06-03-24	38979
14.	VMJS	75	741	06-03-24	37211
15.	VMJS	76	742	06-03-24	40568
16.	VMJS	77	743	06-03-24	41669
17.	VMJS	84	764	18-03-24	28816
18.	VMJS	86	769	20-03-24	19633
19.	VMJS	87	768	20-03-24	24258
TOTAL					625682

Panchayat Secy.
Gram Panchayat Charatgarh
Teh. & Distt. Una (H.P)